न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6043

श्रीमती सुखरजिया पत्नी ईश्वरदीन (मृतक) वारिसान / उत्तराधिकारी कमलेश्वर प्रसाद तनय ईश्वरदत्त उम्र 66 वर्ष निवासी ग्राम कोटा तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0। ....निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय रीवा म0प्र0।

............................गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय कलेक्टर रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 14 / अ–19 / स्व.नि. / 2016–17 एवं प्र. क.15 / अ–19 / स्व.नि. / 2016–17 मे पारित दिनांक 27 / 11 / 2017। अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0।

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ने ग्राम कोटा तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 के अंतर्गत स्थित आराजी खसरा कमांक 2/4 रकवा 4.94 ए0, (जिसे आगे प्रश्नाधीन भूमि संबोधित किया जायेगा) जिसमे बन्दोवस्त वाद निगरानीकर्ता के पूर्वाधिकारी उसके बाद निगरानीकर्ता का जरिये रहायसी मकान व काश्त के रूप मे कब्जा दखल चला आ रहा है, जिसमे निगरानीकर्ता का भूमिस्वामी स्वत्व अर्जित हो चुका है, जिसके राजस्व अभिलेख मौजूद है, पुस्तैनी कब्जा दखल एवं भूमिस्वामी अर्जित स्वत्व के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार वृत्त डभौरा द्वारा विशेष उपबंध

37

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निग./रीवा/भू.रा./2017/6043

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 10/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 14/अ-19/स्वनि./2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । मेजन 6/2/19 सदस्य	